FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([illegible]

शीला देवी बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 44/2022 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
28-11-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ बैठक में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-12-22 को पेश हो।
13-12-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में [illegible]/ बैठक में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-1-23 को पेश हो।
09.01.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
17.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव दुरूस्ती रिकार्ड का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर [illegible] किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार डिक्री [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/02/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2022	2022 / 081	13.04.2022	17.02.2023

उनवान प्रकरण

1. तीजा देवी पत्नी स्व. मोती उम्र 70 साल
2. बोदूराम उम्र 50 साल
3. रामावतार उम्र 47 साल
4. सीताराम उम्र 42 साल

   पुत्रगण स्व. मोती

5. गुलाबी देवी उम्र 40 साल
6. श्रवणी देवी उम्र 35 साल

   पुत्रीयां स्व. मोती

   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

7. रामनिवास उम्र 40 साल
8. धोलू उम्र 50 साल

   पुत्रगण भूराराम

9. माली देवी उम्र 501 साल
10. कमला देवी उम्र 48 साल

[redacted] सीता देवी उम्र 45 साल

पुत्रीयां भूराराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसी[illegible] जिला सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

—वादीगण—

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

1. सायरा उर्फ सायरमल उम्र 72 साल पुत्र चन्द्रा जाति अहीर निवासी ढाणी चोराबीना तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत ईस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 है0 तन ग्राम मोदयाड़ी पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 1/10 हिस्सा की खातेदारी गलत रूप से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा 1/5 हिस्सा का उपहार लेख दिनांक 09.06.2017 को उप पंजीयक कार्यालय तहसील अजीतगढ़ में वादीगण संख्या–1 ता 6 के पति–पिता स्वर्गीय मोती पुत्र चन्द्रा एवं वादीगण संख्या–7 ता 11 के पिता मृतक भूरा पुत्र चन्द्रा के हक में बराबर–बराबर हिस्सानुसार करवाया गया था जो उपहार लेख में स्पष्ट रूप से अंकित है। उक्त उपहार लेख का नामान्तकरण संख्या–598 दिनांक 10.07.2017 में भरते समय उपहारकर्त्ता प्रतिवादी संख्या–1 का हिस्सा 1/5 [illegible] हिस्सा 1/10 नामान्तकरण में गलत दर्ज कर दिया गया। जिससे प्रतिवादी संख्या–1 [illegible] 1/10 हिस्सा खातेदारी में बच गया। चूँकि इस भूमि में प्रतिवादी [illegible] 1/5 हिस्सा ही था, जिसका सम्पूर्ण का भूरा, मोती के हक में उपहार लेख कर[illegible] गया था। भूरा व मोती प्रतिवादी संख्या–1 के सगे भाई थे। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा उपहार लेख किये जाने के बाद उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमि मे प्रतिवादी संख्या– 1 के 1/5 हिस्सा पर पहले वादीगण संख्या–1 ता 6 के पिता मोती आधे हिस्से पर तथा उसके बाद वादीगण संख्या–1 ता 6 हकदार होकर काबिज काश्तकार चले आ रहे है तथा शेष आधे हिस्से पर वादीगण संख्या– 7 ता 11 के पिता भूरा काबिज काश्त था, उसके बाद वादीगण संख्या–7 ता 11 काबिज काश्त चले आ रहे है। मोती पुत्र चन्द्रा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण संख्या–1 ता 6 है एवं भूरा पुत्र चन्द्रा की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान वादीगण संख्या –7 ता 11 है एवं वादीगण संख्या–1 ता 6 इस भूमि मे 3/10 हिस्सा के हकदार व काबिज काश्तकार बहिस्सा बराबर–बराबर चले आ रहे है एवं वादीगण संख्या –7 ता 11 हिस्सा 3/10 के हकदार व काबिज काश्तकार बहिस्सा बराबर--बराबर चले आ रहे है एवं उक्तानुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने एवं दुरूस्त करवाने एवं प्रतिवादी संख्या–1 का नाम दर्ज हिस्सा 1/10 से हजफ करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने एवं दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देता आ रहा है परन्तु अब प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ गयी है। इसलिए दिनांक 10.04.2022 को इन्कार हो जाने पर बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि – ईस्तकार हक इस अमर का फरमाया जावे कि तन ग्राम मोदयाड़ी पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रतिवादी संख्या–1 का नाम दर्ज हिस्सा 1/10 से हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी वादीगण के नाम सही हिस्सानुसार वादिया संख्या–1 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–2 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–3 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–4 हिस्सा 1/20, वादिया संख्या–5 हिस्सा 1/20, वादिया संख्या–6 हिस्सा 1/20 एवं वादी संख्या–7 हिस्सा 3/50, वादी संख्या–8 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–9 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–10 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–11 हिस्सा 3/50 दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावे एवं शेष हिस्सा की खातेदारी अन्य सह खातेदारान के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Rathore 17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बदस्तूर रखी जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 2 की सम्मन तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2388/भू.अ./2022 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि उपहार कर्ता सायरा उर्फ सायरमल पुत्र चन्द्रा अहीर के द्वारा ग्राम मोदयाड़ी के कृषि भूमि खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 किता 4 रकबा 1.74 हैक्टर हिस्सा 1/5 भूमि उपहार एवं खसरा नम्बर 1330, 1331, 1345, 1348 किता 4 रकबा 1.34 हैक्टर के हिस्सा 1/10 के 1/2 भाग भूमि का सगे भाईयों को उपहार – उपहार प्राप्त कर्ताओं भुरा, मोती पुत्रगण चन्द्रा जाति अहीर के पक्ष में किया गया है। उक्त उपहार लेख की पालना में राजस्व ग्राम मण्ड्रस्या के नामान्तकरण संख्या 1111 के द्वारा अमल दरामद किया गया है। जिसके द्वारा उक्त ग्राम मण्ड्रस्या के खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.64 हैक्टर में भी उपहार गृहीता के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज होने से रिकॉर्ड अमल दरामद हो गया है तथा ग्राम मोद्याड़ी के नामान्तकरण संख्या 598 के द्वारा खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 किता 4 रकबा 1.74 हैक्टर में मुताबिक उपहार लेख के हिस्सा 1/5 का उपहार दर्ज करना था, जबकि मुताबिक नामान्तकरण के हिस्सा 1/10 का ही उपहार दर्ज किया गया। जिसको शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की है। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण पक्षकारान् एक पक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2070–2073, 2074–2077, रजिस्टर्ड उपहार लेख, नामान्तकरण संख्या 598, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/10 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने 1/5 हिस्से का उपहार लेख दिनांक 09.06.2017 को उप पंजीयक कार्यालय अजीतगढ में वादीगण संख्या 1 ता 6 के पति/पिता स्व0 मोती पुत्र चन्द्रा एंव वादीगण संख्या 7 लगायत 11 के पिता मृत्तक भूरा पुत्र चन्द्रा के हक में बराबर–बराबर हिस्सानुसार करवाया जाना तथा भूरा व मोती के प्रतिवादी संख्या 1 के सगे भाई होना प्रकट होता है। उक्त उपहार लेख का नामान्तकरण दर्ज करते समय हिस्सा 1/5 के बजाय हिस्सा 1/10 नामान्तकरण में गलत रूप से दर्ज किया जाना स्पष्ट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पिता/पति के पक्ष में तस्दीक करवाये गये रजिस्टर्ड उपहार लेख के आधार पर वादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त [illegible] बाबत ईस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया [illegible] जाती है कि तन् ग्राम मोदयाड़ी पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 639, 640, 675, 675/1891 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 है0 के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/01/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

...राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज हिस्सा 1/10 में ... किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी वादीगण के नाम सही ... हिस्सानुसार वादिया संख्या–1 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–2 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–3 हिस्सा 1/20, वादी संख्या–4 हिस्सा 1/20, वादिया संख्या–5 हिस्सा 1/20, वादिया संख्या–6 हिस्सा 1/20 एवं वादी संख्या–7 हिस्सा 3/50, वादी संख्या–8 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–9 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–10 हिस्सा 3/50, वादिया संख्या–11 हिस्सा 3/50 दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे एवं शेष हिस्सा की खातेदारी अन्य सह खातेदारान के नाम बदस्तूर रखी जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2[illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)